

23.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी वकील द्वारा वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है वादी व वादी अधिवक्ता को पूर्व पेशी अनुसार बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

*Ranje*  
सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

